न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न0– 208 / 2020 पुनः दर्ज 07 / 2023 दर्ज दिनांक 18.09.2020

पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023

पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 2023 / 94 निर्णय दिनांक 01.02.2023

ख्यालीराम बनाम नरेन्द्र आदि

अंतिम निर्णय

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ... –..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुतांबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी **को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–............... ....निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

01/2/23

(रामसिह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न0- 208/2020 पुनः दर्ज 07/2023 दर्ज दिनांक 18.09.2020

पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023 निर्णय दिनांक 01.02.2023

पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 2023/94

ख्यालीराम बनाम नरेन्द्र आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम ढाणी खेदड़ा पटवारहल्का खेदड़ा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 243, 244, 248 कुल किता 3 कुल रकबा 6.3900 है0 में वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौडजी से पत्र कमांकः- भू.अ./2022/5206 दिनांक 21.12.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी